राज्य की 47 सौ किमी सड़कों का होगा नवीकरण

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ओपीआरएमसी की समीक्षा की, सड़कों का निरीक्षण कर 15 दिनों के अंदर मांगी गई रिपोर्ट

तैयारी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में दीर्घकालीन पथ संधारण (ओपीआरएमसी) के तहत लगभग 1300 सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। इन सड़कों की कुल लंबाई 10 हजार 200 किमी है। इस योजना के तहत एजेंसियों को सात वर्षों तक सड़कों का रखरखाव करना है। इस मद में लगभग 6655 करोड़ खर्च होंगे। इस नीति के तहत 47 सौ किमी सड़कों का नवीकरण होगा।

शुक्रवार को ओपीआरएमसी की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कर 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है। शेरघाटी, मुजफ्फरपुर और बांका को छोड़कर सभी जिलों में ओपीआरएमसी नीति के तहत अलग-अलग संवेदकों के साथ एकरारनामा किया गया है। यह एकरारनामा वर्ष 2019 से 2026 तक के लिए प्रभावी है। इसके लिए एक निर्धारित राशि संवेदकों को दी जाती है। एकरारनामे के तहत प्रत्येक चार वर्ष पर पथों का नवीकरण संवेदकों को करना है। कई जिलों के पथों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। समीक्षा के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई है कि चार वर्ष पर पथों का नवीकरण संवेदकों द्वारा किया जाता है। विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन पथों की स्थिति अच्छी है, वहां नवीकरण पर व्यय होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जाए और उसी राशि से अगले वर्ष नवीकरण कराया जाय ताकि अधिक समय तक पथों की स्थिति अच्छी रह सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे मामले भी सामने आये हैं, जिनमें नवीकरण की आवश्यकता नहीं रहने पर भी अभियंताओं ने संवेदकों को लाभ पहुंचाने के लिए नवीकरण का कार्य कराया है। ऐसे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच का निर्देश अभियंता प्रमुख को दिया गया है। अभियंता प्रमुख को 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

- एकरारनामे के तहत प्रत्येक चार वर्ष पर पथों का नवीकरण संवेदकों को करना है
- आदेश, जिन पथों की स्थिति अच्छी है, वहां नवीकरण पर व्यय राशि का भुगतान नहीं होगा

ठेका होने पर भी 1881 सड़कों का निर्माण नहीं

लापरवाही

- इंजीनियर और एजेंसी के फेर में फंसी 1306 किमी सड़कें
- जमीन विवाद के कारण भी 199 सड़कों का काम अधर में

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में ठेका होने के बावजूद ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है। 1881 ऐसी सड़कें हैं, जिनका ठेका हो चुका है लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। एजेंसियों की लापरवाही और इंजीनियरों की समुचित निगरानी नहीं होने के कारण 1306 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इन योजनाओं का काम अविलंब शुरू कराने का निर्देश इंजीनियरों को दिया है।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय योजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें पाया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अधीन विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 1881 योजनाओं का एकरारनामा हो चुका है, लेकिन इसका निर्माण लंबित है। एजेंसियों की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के कारण 1306 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण अधर में है। विभाग ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को कहा है कि वे अविलंब इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी हासिल करें। साथ ही एमआईएस पर इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएं। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अधीन ही विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 199 सड़कों का काम भूमि विवाद के कारण लंबित है। इन सड़कों की लंबाई 150 किलोमीटर है। भूमि विवाद से संबंधित मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों को अर्धसरकारी पत्र से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभिन्न कार्य प्रमंडलों के अधीन 55 योजनाओं का एकरारनामा एमआईएस के अनुसार लंबित है। इसे भी इसी महीने तक पूरा करने को कहा गया है।

1123 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो सके हैं

सड़क परियोजनाओं का काम समय पर शुरू नही होने के कारण मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में सभी घटकों के तहत 1123 करोड़ खर्च नहीं हो सका है। सबसे अधिक राशि औरंगाबाद, अररिया, पुपरी, मोहनियां, सिमरी-बख्तियारपुर, दाउदनगर, शेरघाटी, बारसोई, मोतिहारी और मधेपुरा में खर्च नहीं हो सकी है। सभी कार्य प्रमंडलों को कहा गया है कि वे अपने यहां खर्च की गई राशि की अद्यतन रिपोर्ट एमआईएस पर ऑनलाइन दें ताकि उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।